मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 4/7/25

क्रमांक एफ 6/2/0019/2025/1/34 श्री एस.एल.बाथम प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मुरैना के द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से प्राप्त निविदा दरों में हेराफेरी कर शासन को हानि पहुँचाने के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री एस.एल.बाथम द्वारा निविदा दरें खोलने के पश्चात कूट रचित दस्तावेज तैयार कर न्यूनतम निविदाकार को दर किनार कर अन्य निविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर शासन को आर्थिक हानि पहुँचाने का कृत्य किया जाना पाया गया। श्री एस.एल.बाथम का यह कृत्य अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एस.एल.बाथम, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मुरैना को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3/ निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर निर्धारित किया जाता है। श्री एस.एल.बाथम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता रहेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेक सिंह)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 6/2/0019/2025/1/34 भोपाल, दिनांक 4/7/25

प्रतिलिपि-

1/ निज सचिव मान. मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी म.प्र.भोपाल।
2/ निज सचिव, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल।
3/ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल।
4/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर अतिरिक्त प्रति सहित संबंधित को तामीली हेतु।
5/ अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर मण्डल ग्वालियर।
6/ कार्या. कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां. खंड मुरैना।
7/ श्री एस.एल.बाथम, (निलंबित) प्रभारी कार्यपालन यंत्री ।
द्वारा- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
8/ गार्ड फाइल।

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

Scanned with OKEN Scanner